भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1220

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अपर्याप्त वित्तीय सहायता

1220. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की अपर्याप्तता के संबंध में किसानों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को स्वीकार करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो संवितरित राशि की समीक्षा और उसमें संभावित रूप से वृद्धि करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें कृषि संबंधी आदानों की बढ़ती लागत और कृषक परिवारों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से शामिल किया जा सके, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा के संबंध में वर्तमान वित्तीय सहायता के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा उनके साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मुद्रास्फीति और जीवनयापन की बढ़ी हुई लागत के आलोक में, किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पीएम-किसान सहायता को तत्संबंधी समायोजित करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण देश में किसानों के सामने आ रहे इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए पीएम-किसान योजना की व्यापक समीक्षा हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से

प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है। पीएम-किसान योजना में वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पीएम-किसान के तहत वितरित धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम किया है, किसानों की ऋण संबंधी बाधाओं को कम करने में मदद की है और कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाया है। इस योजना ने किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता को बढ़ाया है, जिससे वे जोखिम भरे लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्पादक निवेश करने के लिए प्रेरित हुए हैं।

आईएफपीआरआई (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं नीति अनुसंधान संस्थान) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि न केवल उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि यह उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य खर्चों को भी पूरा कर रही है। ये देश के किसानों पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेतक हैं। पीएम-किसान वास्तव में हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक गेम चेंजर रहा है।

(घ) एवं (ङ): कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****